103

संख्या– /XXVIII–5–2012–15/2006

प्रेषक,

सुनीलश्री पाथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 **देहरादून, दिनांक: 28 मई, 2012**

विषयः **100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय खटीमा, जनपद उधमसिंह नगर के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–256 / XXVIII–5–2006–15/2006, दिनांक 29.04.2006 एवं शासनादेश संख्या–450 / XXVIII–5–2009–15/2006, दिनांक 06.07.2009 तथा आपके पत्र सं0–7प / 1 / सी0एच0सी0 / 54 / 2006 / 7938, दिनांक 20.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत ₹1027.19 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त ₹646.89 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹42.56 लाख (रूपये बयालिस लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

2– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 30.03.2012 एवं शासनादेश सं0–183 / XXVII(1) / 2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि उपलब्ध रहती है तो उसे नियमानुसार शासन को समर्पित किया जायेगा।

6– अवशेष कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा एवं कार्य को अनवरत् बनाये रखा जायेगा। अवशेष धनराशि की प्रत्याशा में कार्य को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा। इस हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

7– योजना के स्वीकृत कार्यो में से प्रारम्भ किये गये कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2012–13 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 05–तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा–00–आयोजनागत, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–22(पी0)/XXVII(3)/2012–13, दिनांक 22 मई, 2012 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नः–साफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या–637 (1)/XXVIII–5–2012–15/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर।
7– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंह नगर।
8– क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
9– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।